

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि एन.एच. 28सी बाराबंकी से बहराम घाट मार्ग के किमी. 25/871-26/735 के मध्य 132 के.वी. विद्युत पारेषण लाइन (भूमिगत) का निर्माण कार्य प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा कराया जाना माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार प्रस्तावित वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन. पी. वी.) तथा भारत सरकार के पत्र दिनांक 18.03.2010 में दिये गये सभी शर्तों के अनुपालन की याचक विभाग द्वारा वन विभाग को देने की वचनबद्धता दी जाती है। भविष्य में भारत सरकार अथवा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा शुद्ध वर्तमान मूल्य में यदि कोई बढ़ोत्तरी होती है तो याचक विभाग द्वारा उक्त धनराशि को भी भुगतान करने की वचनबद्धता दी जाती है।

प्रतिहस्ताक्षरित

(संजीव कुमार मास्कर)
अधिसूची अभियन्ता (SKER)
विद्युत पारेषण खण्ड-चुनीया
लखनऊ
EIDM, UPPTCL
Lucknow

Rohita
प्रभोनाथ विद्मक
आ. वा. वन प्रभाग
बाराबंकी

दिनांक : 28/08/17
स्थान : बाराबंकी